आयकर अपीलीय अधिकरण,
इंदौर (एकल सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 690/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2016-17

मुरलीधर यादव, विद्यार्थी छात्रावास तिवारी कंपाउंड, वेअर हाऊस के पास, आईटीआई रोड, होशंगाबाद	बनाम	आयकर अधिकारी-2, इटारसी
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एबीबीपीवाई 8290 जे PAN - ABBPY8290J		

अपीलार्थी की ओर से :	श्री एन.डी.पटवा, प्राधिकृत प्रतिनिधि
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	25.02.2025
उद्धघोषणा तिथि :	27.02.2025

आदेश

निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान अतिरिक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त (अपील)-3, मुंबई के आदेश दिनांक 07.02.2024 विरूद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया है कि यह अपील 152 दिनों से कालबाधित है । इस संबंध में निर्धारिती द्वारा विलंब की माफी हेतु आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें उसके

द्वारा यह निवेदन किया गया कि आयकर आयुक्त (अपील) का आदेश निर्धारिती को 12.02.2024 को प्राप्त हुआ था परंतु निर्धारिती के पिताजी दिनांक 02.02.2024 से 14.02.2024 तक अस्पताल में भर्ती थे और तत्पश्चात दिनांक 07.03.2024 को उनका निधन हो गया । इन विकट परिस्थितियों में, आयकर आयुक्त (अपील) का आदेश निर्धारिती से चूक गया । इसके पश्चात सितंबर, 2024 में जब निर्धारिती उसके पूर्व अधिवक्ता के कार्यालय मे गया, तब इस तथ्य का पता चला और उसने तुरंत वर्तमान अपील दाखिल की । निर्धारिती द्वारा उक्त आवेदन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है । निर्धारिती द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील दाखिल करने में विलंब जानबूझकर या साभिप्राय नहीं था अतः उसने इस विलंब को माफ करने हेतु अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के इस अनुरोध पर आपत्ति नहीं की । मैंने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत वजह से हुआ है अतः मैं इस विलंब को माफ करता हूँ तथा अपील सुनवाईहेतु लेता हूँ ।

3. इस अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी यदि यह मामला नये सिरे से न्यायनिर्णयन हेतु आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में वापिस भेजा जाता है ।

4. मैंने दोनो पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है। मैंने पाया कि वर्तमान अपील में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का उचित रूप

से परीक्षण किए बिना आदेश पारित किया था, जो कि न्यायसंगत नहीं हैं । अतः, न्याय के हित में, मैं विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझता हूँ । यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करके सकारण आदेश पारित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती हैं तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 27.02.2025 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 27.02.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल